

HINDI FILE



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 19, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

प्रश्न 1. औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कारखाना प्रणाली ने न केवल मशीनों को पेश करके उत्पादन का रूपांतरण किया, बल्कि एक सामान्य उत्पादन इकाई के भीतर श्रम, पूंजी और पर्यवेक्षण को केंद्रित करके भी उत्पादन को बदल दिया।
2. प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति ने तुरंत घरेलू और हस्तशिल्प उत्पादन के सभी रूपों को विस्थापित कर दिया क्योंकि यंत्रीकृत कारखाना उत्पादन सभी क्षेत्रों में समान रूप से सस्ता और अधिक कुशल था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल कथन 2 (b) दोनों कथन (c) न तो कथन 1 और न ही कथन 2 (d) केवल कथन 1

उत्तर: (d) केवल कथन 1

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** औद्योगिक क्रांति में उत्पादन के संगठन में एक मौलिक परिवर्तन शामिल था। कारखानों ने केंद्रीकृत पर्यवेक्षण के तहत श्रमिकों, मशीनरी, कच्चे माल और पूंजी को एक साथ लाया। इस प्रकार, औद्योगीकरण को केवल तकनीकी आविष्कारों की एक श्रृंखला के रूप में नहीं समझा जा सकता है।
- **कथन 2 गलत है:** हस्तशिल्प और घरेलू उत्पादन से कारखाना उत्पादन में परिवर्तन क्रमिक और असमान था। कारखानों के साथ-साथ हस्तशिल्प उत्पादन जारी रहा, विशेष रूप से जहां कुशल श्रम, विशिष्ट उत्पाद या छोटे पैमाने का उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना रहा।

विश्लेषणात्मक जाल (Analytical trap) "तुरंत" (immediately) शब्द और "सभी क्षेत्रों में" (across all sectors) सार्वभौमिक दावा है। औद्योगीकरण हर पूर्ववर्ती उत्पादन प्रणाली का तात्कालिक प्रतिस्थापन होने के बजाय एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया थी।

कारखाना प्रणाली ने श्रम संबंधों को भी बदल दिया। श्रमिक तेजी से मजदूरी पर निर्भर होते गए, जबकि नियोक्ताओं ने काम के घंटों, उत्पादन विधियों और कार्यस्थल के अनुशासन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इन घटनाओं ने एक विशिष्ट औद्योगिक श्रमिक वर्ग के उद्भव और बाद में ट्रेड यूनियनवाद तथा समाजवादी विचार में योगदान दिया।

प्रश्न 2. वर्ष 2022 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे सटीक है?

- (a) यह अधिनियम मुख्य रूप से केवल शिकार को विनियमित करता है और इसमें वन्यजीव उत्पादों के व्यापार या आवासों (habitats) के संरक्षण से संबंधित कोई वैधानिक प्रावधान नहीं हैं।
- (b) 2022 के संशोधन ने पुरानी छह-अनुसूचियों वाली संरचना को एक सुव्यवस्थित (rationalised) ढांचे से बदल दिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्वों तथा आक्रामक विदेशी प्रजातियों (invasive alien species) के नियमन से संबंधित प्रावधान भी पेश किए।
- (c) यह अधिनियम अनुसूचियों में रखे जाने की परवाह किए बिना प्रत्येक वन्य प्रजाति को समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

(d) यह अधिनियम वन्यजीव संरक्षण को राज्यों से पूरी तरह से केंद्र सरकार को स्थानांतरित करता है और राज्य प्राधिकरणों की भूमिका को समाप्त करता है।

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रमुख वैधानिक ढांचा है। इसका दायरा शिकार से आगे बढ़कर जंगली जानवरों की सुरक्षा, आवासों के प्रबंधन और वन्यजीवों से प्राप्त उत्पादों के व्यापार के नियंत्रण/नियमन तक फैला हुआ है।

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने अनुसूची संरचना को महत्वपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित किया और अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार दायित्वों के संबंध में भारत के ढांचे को मजबूत किया। इसने आक्रामक विदेशी प्रजातियों से संबंधित प्रावधान भी पेश किए, जिसमें संशोधित ढांचे के तहत केंद्र सरकार को उनके आयात, व्यापार या कब्जे को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति शामिल है।

- (a) गलत है: यह अधिनियम शिकार से काफी अधिक मामलों को शामिल करता है।
- (c) गलत है: सुरक्षा का स्तर और प्रकृति प्रजातियों के वैधानिक वर्गीकरण से जुड़ी हुई है।
- (d) गलत है: वन्यजीव शासन में संघ (केंद्र) और राज्य दोनों संस्थान शामिल हैं; अधिनियम केवल राज्य अधिकारियों की भूमिका को समाप्त नहीं करता है।

UPSC-स्तरीय अंतर शिकार पर कानूनी प्रतिबंध के रूप में वन्यजीव संरक्षण और संरक्षण, आवास प्रबंधन, व्यापार के नियमन तथा पारिस्थितिक सुरक्षा की बहुत व्यापक समकालीन अवधारणा के बीच है।

प्रश्न 3. राजकोषीय घाटे के विभिन्न उपायों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राजस्व घाटा यह दर्शाता है कि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक है, लेकिन यह स्वयं यह प्रकट नहीं करता है कि सरकार पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए किस हद तक उधार ले रही है।
2. राजकोषीय घाटा उधारों को छोड़कर कुल प्राप्तियों का हिसाब रखने के बाद, एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की कुल उधार आवश्यकता को दर्शाता है।
3. प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटाकर प्राप्त किया जाता है और इसलिए यह अतीत के ऋण-सेवा खर्चों को छोड़कर वर्तमान राजकोषीय संचालन के कारण उधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: (c) सभी तीनों

विस्तृत व्याख्या: सभी तीनों कथन महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतकों में सही अंतर स्थापित करते हैं।

- **कथन 1 सही है:** राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियां यह इंगित करता है कि सरकार का आवर्ती/राजस्व व्यय उसकी आवर्ती/राजस्व आय से अधिक है। हालांकि, केवल राजस्व घाटा हमें यह नहीं बताता कि सरकार विशेष रूप से पूंजी निर्माण के लिए उधार ले रही है या राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए।
- **कथन 2 सही है:** राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - उधारों को छोड़कर कुल प्राप्तियां यह मोटे तौर पर वर्ष के लिए सरकार की कुल उधार आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह उत्पादक पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों को वित्तपोषित कर सकता है।
- **कथन 3 सही है:** प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान ब्याज भुगतान काफी हद तक संचित पुराने ऋणों से उत्पन्न होता है। इसलिए, प्राथमिक घाटा अतीत के ऋण चुकाने के बोझ को छोड़कर सरकार की वर्तमान राजकोषीय स्थिति का एक संकेत प्रदान करता है।

अवधारणात्मक पदानुक्रम (Conceptual hierarchy) महत्वपूर्ण है:

- **राजस्व घाटा:** वर्तमान/राजस्व असंतुलन
- **राजकोषीय घाटा:** समग्र उधार आवश्यकता
- **प्राथमिक घाटा:** ब्याज के बोझ को छोड़कर राजकोषीय घाटा

इसलिए, यदि कोई सरकार मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उधार लेती है तो उसका बिना राजस्व घाटे के भी राजकोषीय घाटा हो सकता है। ऐसा अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पादक पूंजी निर्माण के लिए उधार लेने के दीर्घकालिक प्रभाव आवर्ती उपभोग व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उधार लेने से भिन्न हो सकते हैं।

प्रश्न 4. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उच्चतम न्यायालय विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी उद्देश्यों दोनों के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
2. परमादेश (Mandamus) की रिट सामान्यतः किसी सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य करने हेतु होती है, जबकि प्रतिषेध (Prohibition) की रिट प्रकृति में निवारक (preventive) होती है और किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए निर्देशित की जाती है।
3. उत्प्रेषण (Certiorari) की रिट अनिवार्य रूप से प्रकृति में निवारक होती है क्योंकि यह निचले न्यायालय या न्यायाधिकरण को क्षेत्राधिकार से अधिक कार्यवाही शुरू करने से रोकती है।
4. अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) की रिट अदालत को किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करने में सक्षम बनाती है, और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत कानूनी क्षति (personal legal injury) प्रदर्शित करे।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को एक व्यापक रिट क्षेत्राधिकार देता है, जिसका विस्तार न केवल मौलिक अधिकारों तक है बल्कि "किसी अन्य उद्देश्य" के लिए भी है। उच्चतम न्यायालय स्वयं रिट क्षेत्राधिकार के अपने विवरण में इस अंतर की व्याख्या करता है।
- **कथन 2 सही है:** परमादेश का उपयोग किसी सार्वजनिक कर्तव्य के पालन को बाध्य करने के लिए किया जाता है। प्रतिषेध निवारक है: यह किसी निचले न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके वैध क्षेत्राधिकार से परे कार्यवाही जारी रखने से रोकता है।
- **कथन 3 गलत है:** यह जानबूझकर प्रतिषेध और उत्प्रेषण के बीच के अंतर को उलट देता है।
 - प्रतिषेध (Prohibition) -> निवारक (preventive)
 - उत्प्रेषण (Certiorari) -> सुधारात्मक (corrective) जब परिस्थितियां न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करती हैं, तब किसी निचले न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पहले से दिए गए आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण का उपयोग किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उत्प्रेषण की प्रकृति में रिटों की व्यापक संवैधानिक उपलब्धता को स्वीकार किया है।

- **कथन 4 सही है:** अधिकार-पृच्छा उस कानूनी प्राधिकरण पर सवाल उठाती है जिसके तहत कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण करता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक पद पर गैर-कानूनी कब्जे को रोकना है, और याचिकाकर्ता को उस प्रकार की व्यक्तिगत क्षति साबित करने की आवश्यकता नहीं है जो आमतौर पर पारंपरिक निजी मुकदमों में आवश्यक होती है। इसलिए यह रिट विशेष रूप से सार्वजनिक नियुक्तियों में वैधता बनाए रखने से जुड़ी है।

आवश्यक UPSC स्मरणीय ढांचा (memory framework) है:

- **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus):** व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- **परमादेश (Mandamus):** सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश
- **प्रतिषेध (Prohibition):** पूरा होने से पहले कार्यवाही को रोकना
- **उत्प्रेषण (Certiorari):** पहले से लिए गए निर्णय को रद्द करना/समीक्षा करना
- **अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto):** सार्वजनिक पद "किस अधिकार से" धारण किया गया है

प्रश्न 5. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

अभिकथन (A): कैटाबेटिक (Katabatic) हवाएं आमतौर पर अपेक्षाकृत ठंडी और घनी हवा के ढलान से नीचे की ओर (downslope) संचलन से जुड़ी होती हैं, जबकि एनाबेटिक (Anabatic) हवाओं में आमतौर पर दिन के समय गर्म होने के दौरान हवा की ढलान से ऊपर की ओर (upslope) गति शामिल होती है। **कारण I:** तीव्र सतह शीतलन (surface cooling) के दौरान, एक ऊंचे स्थान की सतह के संपर्क में आने वाली हवा अधिक घनी हो सकती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढलान से नीचे की ओर जा सकती है। **कारण II:** पर्वतीय ढलान पर दिन के समय सौर ताप adjacent हवा को अपेक्षाकृत अधिक गर्म और कम घना बना सकता है, जो ढलान पर ऊपर की ओर प्रवाह के अनुकूल होता है।

निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? (a) अभिकथन सही है, और कारण I तथा कारण II दोनों सही हैं, और दोनों अभिकथन की सही व्याख्या करते हैं। (b) अभिकथन सही है, कारण I सही है लेकिन कारण II गलत है। (c) अभिकथन सही है, कारण I गलत है लेकिन कारण II सही है। (d) अभिकथन गलत है, लेकिन कारण I और कारण II दोनों सही हैं।

उत्तर: (a)

विस्तृत व्याख्या:

- **अभिकथन सही है:** कैटाबेटिक और एनाबेटिक हवाएं विपरीत स्थानीय पर्वत-ढलान प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं जो काफी हद तक तापमान अंतर और घनत्व के अंतर से जुड़ी होती हैं।
- **कारण I — सही है:** कैटाबेटिक हवा तब विकसित होती है जब किसी ऊंचे स्थान की सतह के पास की हवा पर्याप्त रूप से ठंडी और घनी हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, अधिक घनी हवा ढलान से नीचे बहती है। ऐसी हवाएं बहुत ठंडी सतहों पर विशेष रूप से स्पष्ट होती हैं। इसके क्लासिक बड़े पैमाने के उदाहरणों में बर्फ से ढके क्षेत्रों से जुड़ी मजबूत जल निकासी हवाएं (drainage winds) शामिल हैं।
- **कारण II — सही है:** एनाबेटिक हवा आम तौर पर दिन के समय होती है जब सौर विकिरण पर्वत के ढलान को गर्म करता है। गर्म ढलान के पास की हवा अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है या ढलान पर ऊपर की ओर बढ़ती है।

इसलिए मूल अंतर को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:

- **रात/तीव्र शीतलन:** अधिक घनी हवा -> ढलान से नीचे प्रवाह -> कैटाबेटिक
- **दिन के समय ढलान का गर्म होना:** अधिक गर्म हवा -> ढलान पर ऊपर प्रवाह -> एनाबेटिक

इसलिए दोनों कारण सीधे तौर पर अभिकथन की व्याख्या करते हैं।

मुख्य UPSC जाल इन हवाओं को सामान्य घाटी और पर्वतीय समीर (valley and mountain breezes) के साथ भ्रमित करना है। हालांकि वे स्थानीय पर्वत-घाटी परिसंचरण से संबंधित हैं, 'कैटाबेटिक' और 'एनाबेटिक' शब्द विशेष रूप से ढलानों के साथ घनत्व/तापीय अंतर से जुड़े ढलान से नीचे और ढलान पर ऊपर के घटकों पर जोर देते हैं।

दैनिक अभ्यास प्रश्न – करंट अफेयर्स अनुभाग से

प्र. 1. DSC A24 (यार्ड 329) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. DSC A24 भारतीय नौसेना के लिए शुरू की गई पाँच जहाजों वाली डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पाँचवाँ और अंतिम पोत है।
2. इसका कैटामरान-हल कॉन्फिगरेशन (catamaran-hull configuration) मुख्य रूप से डाइविंग ऑपरेशनों के दौरान स्थिरता और वर्किंग-डेक स्पेस (working-deck space) के बजाय पानी के नीचे की गति को बढ़ाने के लिए है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल कथन 2 (b) दोनों कथन (c) कोई भी कथन नहीं (d) केवल कथन 1

उत्तर: (d) केवल कथन 1

विस्तृत स्पष्टीकरण:

- कथन 1 सही है। DSC A24 (यार्ड 329) को 1 अगस्त 2026 को टीटागढ़, कोलकाता में लॉन्च किया गया था, और यह भारतीय नौसेना के लिए पाँच-पोत डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पाँचवाँ और अंतिम जहाज है। यह क्राफ्ट डाइविंग सपोर्ट, पानी के नीचे के निरीक्षण, सार्व्वेज सहायता (salvage assistance) और तटीय परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए है।
- कथन 2 गलत है। कैटामरान-हल कॉन्फिगरेशन विशेष रूप से स्थिरता, सी-कीपिंग (sea-keeping) और बड़े हुए डेक क्षेत्र से संबंधित है, जो डाइविंग ऑपरेशनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन जहाजों का विस्थापन (displacement) लगभग 300-400 टन है।

एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता मुख्य और सहायक उपकरणों की लगभग 70% स्वदेशी सोर्सिंग है, जो इस परियोजना को रक्षा विनिर्माण में 'आत्मनिर्भर भारत' के व्यापक उद्देश्य से जोड़ती है।

यहाँ यूपीएससी का जाल (trap) इस पोत के उद्देश्य को पारंपरिक लड़ाकू जहाज के उद्देश्य के साथ भ्रमित करना है। DSC A24 मुख्य रूप से एक विशेष पानी के नीचे की सहायता प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है, न कि आक्रामक युद्धपोत।

प्र. 2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) को मुख्य रूप से किस से जुड़ी एक संस्था के रूप में सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जा सकता है:

- (a) राज्य सरकारों की ओर से सभी खनन पट्टों (mining leases) का विनियमन और रॉयल्टी का संग्रह
- (b) भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और संबंधित अन्वेषणों के माध्यम से राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक जानकारी का सृजन और अद्यतन तथा खनिज संसाधनों का आकलन
- (c) भारत में सभी खनिज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी
- (d) अपतटीय क्षेत्रों (offshore areas) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडारों की विशेष खोज

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की स्थापना 1851 में हुई थी, जिसका प्रारंभिक मुख्य फोकस विस्तारित रेलवे नेटवर्क के लिए कोयला भंडारों का पता लगाना था। समय के साथ, इसका अधिकार क्षेत्र काफी बढ़ गया। वर्तमान में यह खान मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है।

इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक जानकारी का सृजन और अद्यतन करना;
- खनिज-संसाधन आकलन;
- ज़मीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण;
- भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय अन्वेषण;
- भू-तकनीकी और भू-पर्यावरणीय अध्ययन;
- प्राकृतिक-आपदा अन्वेषण;
- हिमनद विज्ञान (glaciological) और सीस्मोटेक्टोनिक अध्ययन;
- मौलिक भू-वैज्ञानिक अनुसंधान।

इसलिए, GSI को खनन नियामक (mining regulator) नहीं समझना चाहिए। खनिज-संसाधन आकलन और भूवैज्ञानिक जानकारी का उत्पादन इसके अधिदेश के केंद्र में हैं, जबकि खनन पट्टों का विनियमन अन्य सरकारी प्राधिकरणों से संबंधित है।

GSI का विश्लेषणात्मक महत्व खनिजों से परे है। इसका कार्य पृथ्वी की प्रक्रियाओं, प्राकृतिक आपदाओं, जल संसाधनों, जलवायु से संबंधित भूवैज्ञानिक परिवर्तनों और भारत के अपतटीय भूवैज्ञानिक क्षेत्रों को समझने में योगदान देता है।

प्र. 3. प्रोजेक्ट सारथी (Project SARATHI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक युवा-नेतृत्व वाली, स्वयंसेवक-संचालित पहल है जिसे गैर-नैदानिक (non-clinical) सहायता के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में रोगी के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2. इसके स्वयंसेवकों का उद्देश्य डॉक्टरों और नर्सों के कार्यभार को कम करने के लिए नैदानिक (clinical) जिम्मेदारियां संभालना है।
3. इस पहल को स्वयंसेवक पंजीकरण, उपस्थिति और डिजिटल निगरानी जैसे कार्यों के लिए 'माई भारत' (MY Bharat) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत स्पष्टीकरण:

- कथन 1 सही है। प्रोजेक्ट सारथी (SARATHI — Students' Alliance for Responsible Action to Transform Healthcare Institutes) एक युवा-नेतृत्व वाली, स्वयंसेवक-संचालित रोगी-सहायता पहल है। प्रशिक्षित स्वयंसेवक सरकारी अस्पतालों में गैर-नैदानिक नेविगेशन, मार्गदर्शन और गतिशीलता सहायता (mobility assistance) प्रदान करते हैं।
- कथन 2 गलत है। स्वयंसेवकों का उद्देश्य विशेष रूप से नैदानिक या प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभाले बिना स्वास्थ्य सेवा सेवाओं के पूरक बनना है। यह अंतर महत्वपूर्ण है: सारथी एक रोगी-समर्थन पहल है, न कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों का विकल्प।
- कथन 3 सही है। इस पहल को 'माई भारत' (MY Bharat) के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिसमें स्वयंसेवक पंजीकरण, उपस्थिति, रोगी प्रतिक्रिया (patient feedback) और ABHA-ID निर्माण के लिए समर्थन की डिजिटल प्रणालियाँ शामिल हैं।

इस पहल ने पहले ही 2,500 से अधिक स्वयंसेवकों को जुटाया है, 1.5 लाख से अधिक सेवा घंटे योगदान दिए हैं, और पीजीआईएमईआर (PGIMER) के एक अध्ययन में सहायता प्राप्त रोगियों के बीच रोगी-नेविगेशन समय में 26% की कमी दर्ज की गई है।

व्यापक शासन का पाठ महत्वपूर्ण है: सारथी यह प्रदर्शित करता है कि कैसे संरचित युवा सहभागिता + डिजिटल निगरानी + सामुदायिक जुड़ाव, स्वयंसेवकों को पेशेवर जिम्मेदारियां स्थानांतरित किए बिना सार्वजनिक-सेवा वितरण के पूरक बन सकते हैं।

प्र. 4. वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सलाह पर सहायक निकाय (SBSTTA-28) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SBSTTA जैव विविधता सम्मेलन (CBD) के तहत एक सहायक निकाय है जो पक्षकारों के सम्मेलन (Conference of the Parties) को वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सलाह प्रदान करता है।
2. SBSTTA-28 नैरोबी में आयोजित किया गया था और इसने येरेवन में 2026 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की तैयारियों में योगदान दिया।
3. SBSTTA-28 से निकलने वाली सिफारिशें स्वयं में कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं जो CBD में उनकी भागीदारी के बिना सभी राज्यों पर लागू होती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत स्पष्टीकरण:

- कथन 1 सही है। SBSTTA, CBD के तहत वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सलाह पर सहायक निकाय है। इसकी भूमिका सम्मेलन और उसके संबद्ध जैव विविधता ढांचे के कार्यान्वयन से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सलाह प्रदान करना है।
- कथन 2 सही है। SBSTTA-28 का आयोजन 27 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक नैरोबी में किया गया था। इसने कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के कार्यान्वयन से जुड़े वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों को संबोधित किया और येरेवन, आर्मेनिया में 2026 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की तैयारियों में योगदान दिया।
- कथन 3 गलत है। किसी सहायक वैज्ञानिक और तकनीकी निकाय की सिफारिशें स्वचालित रूप से सभी देशों पर लागू होने वाली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियां नहीं बनाती हैं। CBD के तहत संस्थागत प्रक्रिया में पक्षकारों द्वारा बातचीत और निर्णय लेना शामिल है।

SBSTTA-28 महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने COP17 से पहले वैज्ञानिक और तकनीकी चर्चाओं को आगे बढ़ाया, जहाँ पक्षकारों से KMGBF के कार्यान्वयन में सामूहिक प्रगति की समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है।

एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर यह है:

- SBSTTA → वैज्ञानिक/तकनीकी सलाह
- COP → सम्मेलन के तहत राजनीतिक निर्णय लेना
- संधि दायित्व → लागू अंतरराष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क और उसके तहत अपनाए गए निर्णयों/साधनों से उत्पन्न होते हैं, न कि केवल एक तकनीकी सिफारिश से।

प्र. 5. अभ्यास 'रोटर क्लैप III' (Exercise ROTOR CLAP III) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित किया गया था और विशेष रूप से मानवरहित हवाई प्रणालियों (unmanned aerial systems) द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने पर केंद्रित था।
2. यह अभ्यास विशेष रूप से फिक्स्ड-विंग फाइटर एयरक्राफ्ट (fixed-wing fighter aircraft) के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसमें रोटरी-विंग प्लेटफॉर्म शामिल नहीं थे।
3. पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस अभ्यास के संचालन से भारतीय वायु सेना (IAF) को वास्तविक युद्ध-प्रशिक्षण वातावरण में परिचालन अवधारणाओं और एकीकृत प्रतिक्रियाओं को मान्य करने में मदद मिली।
4. यह अभ्यास एक द्विपक्षीय अभ्यास था जो विशेष रूप से समुद्री पनडुब्बी रोधी युद्ध (maritime anti-submarine warfare) के लिए भारत और एक विदेशी साझीदार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत स्पष्टीकरण:

- कथन 1 सही है। 'रोटर क्लैप III' भारतीय वायु सेना द्वारा काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (Counter-UAS) के केंद्रीय विषय के साथ आयोजित किया गया था। यह उभरते ड्रोन खतरों के खिलाफ हेलीकॉप्टर संचालन को मजबूत करने पर केंद्रित था।
- कथन 2 गलत है। इस अभ्यास में विशेष रूप से रोटरी-विंग / हेलीकॉप्टर इकाइयां शामिल थीं। इसे विशिष्ट फिक्स्ड-विंग फाइटर अभ्यास होने के बजाय हेलीकॉप्टर परिचालन अवधारणाओं के आसपास डिजाइन किया गया था।
- कथन 3 सही है। यह अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, और इसका उद्देश्य उभरते हवाई खतरों के खिलाफ मिशन योजना, समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं को मान्य करना था।
- कथन 4 गलत है। रोटर क्लैप III कोई द्विपक्षीय अभ्यास नहीं था और न ही यह समुद्री पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित था। यह काउंटर-UAS ऑपरेशनों पर केंद्रित एक भारतीय वायु सेना का अभ्यास था।

यह अभ्यास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सस्ते ड्रोनों के बढ़ते प्रसार ने खतरे के माहौल को बदल दिया है। चुनौती अब केवल पारंपरिक हवा से हवा या हवा से जमीन पर होने वाला युद्ध नहीं है; हेलीकॉप्टरों और अन्य प्लेटफार्मों को तेजी से ऐसे वातावरण में काम करना होगा जिसमें कम लागत वाले, आसानी से पता न चलने वाले मानवरहित खतरे मौजूद हों।

प्र. 6. यूराल पर्वतों (Ural Mountains) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे यूरोप और एशिया के बीच एक पारंपरिक भौगोलिक सीमा बनाते हैं।
2. वे मोटे तौर पर आर्कटिक महासागर क्षेत्र से कैस्पियन सागर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से तक विस्तृत हैं।
3. वे पूरी तरह से रूस के भूभाग के भीतर स्थित हैं।
4. यूराल पर्वत भूवैज्ञानिक रूप से हिमालय के युवा वलित पर्वतों (young fold mountains) की तुलना में पुरानी पर्वत प्रणालियों में से हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

विस्तृत स्पष्टीकरण:

- कथन 1 सही है। यूराल पर्वतों को पारंपरिक रूप से यूरोप को एशिया से अलग करने वाली प्रमुख भौगोलिक सीमाओं में से एक माना जाता है।
- कथन 2 सही है। यूराल पर्वत आर्कटिक क्षेत्र से कैस्पियन सागर के पास के क्षेत्र की ओर लगभग उत्तर-दक्षिण तक फैले हुए हैं, जो पश्चिमी रूस में एक लंबी पर्वत श्रृंखला बनाते हैं।
- कथन 3 गलत है। यूराल पर्वत प्रणाली पूरी तरह से रूस तक सीमित नहीं है। इसका दक्षिणी विस्तार कजाखस्तान तक पहुँचता है।
- कथन 4 सही है। यूराल एक भूवैज्ञानिक रूप से प्राचीन पर्वत प्रणाली है, जो हिमालय जैसी अपेक्षाकृत युवा वलित प्रणालियों से काफी पुरानी है, जो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के माध्यम से बहुत बाद में बनी थीं।

मानचित्र-आधारित यूपीएससी टेकअवे (निष्कर्ष): स्थानिक संबंध को इस प्रकार याद रखा जा सकता है: आर्कटिक महासागर → यूराल पर्वत → कजाखस्तान/कैस्पियन क्षेत्र

यूराल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे रूस के भीतर एक अनुदैर्घ्य भौतिक विभाजन बनाते हैं और पारंपरिक रूप से यूरोप-एशिया सीमा को चिह्नित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण जाल कथन 3 है: दक्षिणी यूराल कजाखस्तान तक फैला हुआ है, इसलिए पूरी पर्वत प्रणाली को रूस तक ही सीमित नहीं बताया जा सकता है।

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

प्रश्न 1: "स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) ने औपनिवेशिक राज्य, जमींदारों और किसानों के बीच के संबंधों को रूपांतरित कर दिया, लेकिन इसके परिणाम भू-राजस्व के प्रश्न से कहीं आगे तक गए।" परीक्षण कीजिए।

एनसीईआरटी संदर्भ: भारतीय इतिहास के कुछ विषय - भाग III, कक्षा XII, अध्याय 8 - किसान, जमींदार और राज्य। एनसीईआरटी का वर्तमान पाठ्यपुस्तक भंडार कक्षा XII इतिहास के ग्रंथों की उपलब्धता की पुष्टि करता है।

मॉडल उत्तर: लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में 1793 में लागू किया गया स्थायी बंदोबस्त, औपनिवेशिक शासन के तहत कृषि संबंधों के एक मौलिक पुनर्गठन का प्रतिनिधित्व करता था। यह केवल भू-राजस्व तय करने का एक जरिया मात्र नहीं था; इसने संपत्ति धारकों के एक ऐसे नए वर्ग को बनाने का प्रयास किया जो औपनिवेशिक राज्य और कृषक आबादी के बीच विश्वसनीय मध्यस्थ बन सके। इसलिए इसके परिणाम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक थे।

स्थायी बंदोबस्त के तहत, औपनिवेशिक राज्य ने जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी, जो एक स्थायी रूप से निश्चित भू-राजस्व के भुगतान के अधीन थे। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा जमींदारों को कृषि सुधार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही, राज्य की स्थायी रूप से निश्चित मांग से सरकार को राजस्व का एक अनुमानित (स्थिर) प्रवाह मिलने की उम्मीद थी।

हालाँकि, इसके वास्तविक परिणाम काफी भिन्न रहे।

पहला, इस व्यवस्था ने जमींदारों के प्रोत्साहनों को बदल दिया। चूंकि राज्य की मांग निश्चित थी, इसलिए कृषि आय में किसी भी वृद्धि से संभावित रूप से जमींदार का अधिशेष (मुनाफा) बढ़ सकता था। फिर भी कई जमींदारों ने कोई महत्वपूर्ण कृषि निवेश नहीं किया। इसके बजाय, लगान वसूलना ही अक्सर आय बढ़ाने का मुख्य जरिया बन गया।

दूसरा, किसानों को अत्यधिक असुरक्षा का सामना करना पड़ा। जमींदार लगान थोप सकते थे और काश्तकारों से अधिकतम वसूली करने का प्रयास कर सकते थे। औपनिवेशिक कानूनी प्रणाली ने नए तंत्र प्रदान किए जिनके माध्यम से संपत्ति और राजस्व के दावों को लागू किया जा सकता था। इस प्रकार, कृषि संबंध तेजी से औपचारिक संपत्ति अधिकारों और मुकदमेबाजी से जुड़ गए।

तीसरा, स्थायी बंदोबस्त ने एक ऐसे भू-स्वामी मध्यस्थ वर्ग के विकास में योगदान दिया जिसके हित औपनिवेशिक राज्य के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। राज्य को एक अपेक्षाकृत स्थिर राजस्व-संग्रहकर्ता मध्यस्थ होने का लाभ मिला, लेकिन इस व्यवस्था ने जमींदारों और काश्तकारों के बीच तनाव भी पैदा किया।

एक महत्वपूर्ण अनपेक्षित परिणाम जमींदारी की बिक्री (नीलामी) की परिघटना थी। जो जमींदार समय पर निश्चित राजस्व चुकाने में विफल रहते थे, वे अपनी संपत्तियां खो सकते थे, जिससे नीलामी होती थी और नए खरीदारों का उदय होता था। इस प्रकार, राजस्व मांग की स्थायी प्रकृति के बावजूद, संपत्तियों का स्वामित्व ढांचा आवश्यक रूप से स्थिर नहीं रहा।

इस प्रणाली के व्यापक सामाजिक निहितार्थ भी थे। भूमि को तेजी से एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा जाने लगा जिसे खरीदा, बेचा और कानूनी रूप से स्थानांतरित किया जा सकता था। यह कई पूर्व पारंपरिक व्यवस्थाओं से एक महत्वपूर्ण बदलाव था।

क्रिटिकल असेसमेंट (गंभीर मूल्यांकन): इसलिए स्थायी बंदोबस्त ने एक विरोधाभास पैदा किया। अंग्रेजों का इरादा वफादार, समृद्ध और सुधार-उन्मुख जमींदारों का एक वर्ग बनाने का था, लेकिन इस प्रणाली ने अक्सर लगान निष्कर्षण, कृषि असुरक्षा और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया।

इसकी विरासत केवल राजस्व प्रशासन तक सीमित नहीं रही। इसने भूमि के व्यावसायीकरण, ग्रामीण सत्ता के पुनर्गठन, नए संपत्ति संबंधों के उद्भव और औपनिवेशिक राज्य-समाज संबंधों के परिवर्तन में योगदान दिया।

इस प्रकार, स्थायी बंदोबस्त को केवल एक राजस्व बंदोबस्त के बजाय औपनिवेशिक कृषि पुनर्गठन के एक मूलभूत घटक के रूप में समझा जाना चाहिए। इसका गहरा महत्व ग्रामीण भारत में संपत्ति, सत्ता और उत्पादन के परिवर्तन में निहित था।

प्रश्न 2: "भारत में गठबंधन राजनीति के उद्भव ने सर्वसम्मति-निर्माण और अंतर-दलीय बातचीत को राजनीतिक निर्णय लेने के केंद्र में लाकर शासन की प्रकृति को बदल दिया।" चर्चा कीजिए।

एनसीईआरटी संदर्भ: स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा XII, अध्याय 9 - भारतीय राजनीति में नए बदलाव।

एनसीईआरटी का आधिकारिक भंडार इस कक्षा XII पाठ और इसके अध्यायों को सूचीबद्ध करता है।

मॉडल उत्तर: एक-दलीय प्रभुत्व का पतन और गठबंधन राजनीति का उदय, विशेष रूप से 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक से, भारत के लोकतांत्रिक शासन में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। गठबंधन राजनीति ने क्षेत्रीय दलों, सामाजिक आंदोलनों और विविध क्षेत्रीय तथा जाति-आधारित आकांक्षाओं के बढ़ते राजनीतिक महत्व को दर्शाया। इसने न केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा को बदला बल्कि सरकारों के गठन और नीतियों पर बातचीत के तरीके को भी बदल दिया।

कांग्रेस प्रणाली ने ऐतिहासिक रूप से अपेक्षाकृत केंद्रीकृत राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाया था क्योंकि एक प्रमुख दल संसदीय बहुमत हासिल कर सकता था। हालांकि, मजबूत क्षेत्रीय दलों के उद्भव और एकल-दलीय प्रभुत्व के पतन के परिणाम स्वरूप खंडित जनादेश सामने आए। सरकारों को तेजी से कई दलों के समर्थन की आवश्यकता होने लगी।

गठबंधन राजनीति ने परामर्श और बातचीत को अत्यधिक महत्व दिया। गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर सरकार को राष्ट्रीय नीति तैयार करते समय उनके क्षेत्रीय हितों पर विचार करना पड़ता था। इससे राज्यों और क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि हुई।

एक महत्वपूर्ण परिणाम संघात्मक (संघीय) राजनीतिक गतिशीलता को मजबूती मिलना था। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय नीति-निर्माण में राज्य-विशिष्ट चिंताओं को सामने लाए। भाषा, क्षेत्रीय विकास, संसाधन आवंटन, विशेष पैकेज और राज्य की स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों को अधिक राजनीतिक दृश्यता मिली।

गठबंधन सरकारों ने सकारात्मक और सीमित दोनों पहलुओं को प्रदर्शित किया।

सकारात्मक पहलू: गठबंधन राजनीति कर सकती है:

- प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाना;
- क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समाहित करना;
- संघवाद को मजबूत करना;
- सर्वसम्मति-निर्माण को प्रोत्साहित करना;
- राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकना।

इसलिए, एक गठबंधन सरकार अत्यधिक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की तुलना में भारत की सामाजिक और भौगोलिक विविधता को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित कर सकती है।

हालांकि, गठबंधन राजनीति शासन संबंधी चुनौतियाँ भी पैदा कर सकती है। जब सरकार का संसदीय बहुमत कम होता है, तो छोटे दल असमान सौदेबाजी की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीतिगत निर्णय कभी-कभी दीर्घकालिक जनहित के विचारों के बजाय गठबंधन प्रबंधन पर निर्भर हो सकते हैं।

समर्थन वापसी की संभावना से राजनीतिक अनिश्चितता भी पैदा हो सकती है। यह 1990 के दशक में अस्थिर गठबंधन सरकारों की अवधि के दौरान विशेष रूप से दिखाई दिया था।

फिर भी, गठबंधन राजनीति को कमजोर शासन के बराबर मानना अतिसरलीकरण होगा। कुछ गठबंधन सरकारों ने महत्वपूर्ण संस्थागत और आर्थिक सुधारों को पूरा किया। इसलिए निर्णायक कारक दलों की संख्या नहीं बल्कि एक साझा नीतिगत कार्यक्रम विकसित करने की गठबंधन की संस्थागत क्षमता है।

व्यापक लोकतांत्रिक महत्व: गठबंधन राजनीति ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पहचानों के बीच के संबंध को भी बदल दिया। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्वाभाविक रूप से अस्थिर करने वाला मानने के बजाय, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक संरचनाओं के भीतर तेजी से शामिल किया।

यह भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है: राजनीतिक विखंडन के बिना राष्ट्रीय राजनीतिक संरचनाओं के भीतर क्षेत्रीय विविधता को समायोजित किया जा सकता है।

इसलिए, एक-दलीय प्रभुत्व से गठबंधन राजनीति की ओर विकास बहुसंख्यकवादी राजनीतिक नियंत्रण से बातचीत पर आधारित राजनीतिक शासन की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

समकालीन भारत में, जब किसी एक दल के पास संसदीय बहुमत होता है, तब भी गठबंधन युग का अनुभव संघीय परामर्श, क्षेत्रीय हितों और हितधारकों की बातचीत पर अधिक ध्यान देकर शासन को प्रभावित करता रहता है।

इस प्रकार, गठबंधन राजनीति को केवल एक चुनावी अंकगणित के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह भारतीय लोकतंत्र में एक गहरे परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रतिनिधित्व, संघवाद, बातचीत और सर्वसम्मति-निर्माण शासन के अभिन्न आयाम बन गए हैं।

प्रश्न 3: "विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच विकास परिणामों में अंतर को केवल आय में अंतर द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।" भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक विकास अनुभव के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

एनसीईआरटी संदर्भ: भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कक्षा XI, और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, कक्षा XII। एनसीईआरटी का आधिकारिक पाठ्यपुस्तक पोर्टल वर्तमान अर्थशास्त्र ग्रंथ प्रदान करता है।

मॉडल उत्तर: आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आय, उत्पादकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचे, संस्थागत गुणवत्ता और जीवन स्तर में सुधार शामिल हैं। इसलिए, केवल प्रति व्यक्ति आय में अंतर पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट नहीं कर सकता है कि विभिन्न विकास पथों पर चलने वाले देश अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक परिणाम क्यों प्राप्त करते हैं।

भारत का विकास अनुभव इसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है। स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन हासिल किया है, जिसमें औद्योगिक क्षमता का विस्तार, सेवाओं की वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में सुधार और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों का उद्भव शामिल है। फिर भी विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में विकास के परिणाम असमान बने हुए हैं।

चीन, दक्षिण कोरिया और अन्य पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं जैसे देशों के तुलनात्मक अनुभव संरचनात्मक परिवर्तन के महत्व को दर्शाते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं ने भूमि सुधारों, मानव-पूंजी निवेश, विनिर्माण विस्तार, निर्यात उन्मुखता, बुनियादी ढांचे के विकास और मजबूत राज्य क्षमता के संयोजन के माध्यम से तेजी से विकास हासिल किया।

आय बनाम मानव विकास: प्रति व्यक्ति आय औसत आर्थिक संसाधनों के बारे में जानकारी देती है लेकिन उनके वितरण या सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को उजागर नहीं करती है।

समान औसत आय वाले दो देश निम्नलिखित में काफी भिन्न हो सकते हैं:

- साक्षरता;
- जीवन प्रत्याशा;
- शिशु मृत्यु दर;
- लैंगिक समानता;
- स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच;
- शिक्षा की गुणवत्ता;
- रोजगार के अवसर;
- सामाजिक सुरक्षा।

इसलिए, विकास का मूल्यांकन मानव कल्याण के व्यापक संकेतकों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

संरचनात्मक परिवर्तन: विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक कम उत्पादकता वाली गतिविधियों से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की ओर श्रम और पूंजी की आवाजाही है।

भारत का संक्रमण विशिष्ट रहा है क्योंकि सेवा क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ, जबकि अर्ध-कुशल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को अवशोषित करने की विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता तुलनात्मक रूप से सीमित रही है।

रोजगार के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यदि वृद्धि पूंजी-गहन या अत्यधिक कुशल क्षेत्रों में केंद्रित है तो एक देश पर्याप्त उत्पादक रोजगार उत्पन्न किए बिना तेज जीडीपी वृद्धि का अनुभव कर सकता है।

संस्थानों की भूमिका: संस्थागत गुणवत्ता भी मायने रखती है। प्रभावी संपत्ति अधिकार, अनुबंध प्रवर्तन, नियामक पूर्वानुमेयता, वित्तीय संस्थान और प्रशासनिक क्षमता निवेश और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।

इसी तरह, विकेंद्रीकृत शासन और जवाबदेह सार्वजनिक संस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में सुधार कर सकते हैं।

मानव पूंजी: शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश से दीर्घकालिक उत्पादकता लाभ होता है। एक स्वस्थ और शिक्षित कार्यबल प्रौद्योगिकी को अपनाने, नवाचार करने और उच्च उत्पादकता वाले रोजगार में जाने में अधिक सक्षम होता है।

इसलिए, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण और कौशल विकास पर सार्वजनिक व्यय को केवल कल्याणकारी व्यय के रूप में नहीं बल्कि उत्पादक क्षमता में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए।

भारत की विकास चुनौती: भारत के भविष्य के विकास के लिए निम्नलिखित पर एक साथ ध्यान देने की आवश्यकता है: आर्थिक वृद्धि + रोजगार + मानव पूंजी + बुनियादी ढांचा + समावेशन + पर्यावरणीय स्थिरता।

पर्याप्त रोजगार सृजन के बिना उच्च वृद्धि असमानता पैदा कर सकती है। इसी तरह, पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों के बिना बुनियादी ढांचे का विस्तार दीर्घकालिक सामाजिक लागत थोप सकता है।

इसलिए तुलनात्मक विकास अनुभव यह दर्शाता है कि विकास केवल उच्च जीडीपी की दौड़ नहीं है। यह संरचनात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो नागरिकों की क्षमताओं और अवसरों में सुधार करती है।

नतीजतन, भारत की विकास रणनीति को केवल अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि उत्पादकता, रोजगार की गुणवत्ता, मानव पूंजी और संस्थागत प्रभावशीलता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे विकास अधिक समावेशी, लचीला और टिकाऊ बनेगा।

प्रश्न 4: "लोक सेवक अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां कानूनी सही-गलत और नैतिक सही-गलत अलग-अलग दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थितियों में, संवैधानिक नैतिकता को प्रशासनिक विवेक का मार्गदर्शन करना चाहिए।" चर्चा कीजिए।

एनसीईआरटी/संदर्भ: यूपीएससी जीएस पेपर IV - नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, 'कार्यरत भारतीय संविधान' (कक्षा XI) के संवैधानिक मूल्यों के साथ।

मॉडल उत्तर: लोक प्रशासन कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में काम करता है। हालांकि, शासन में अक्सर ऐसी स्थितियां शामिल होती हैं जहां किसी नियम का कड़ाई से अनुपालन ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकता है जो न्याय, समानता, गरिमा और जन कल्याण के व्यापक सिद्धांतों से असंगत प्रतीत होते हैं। यह लोक सेवकों के लिए एक नैतिक दुविधा पैदा करता है।

पहला सिद्धांत यह है कि व्यक्तिगत नैतिकता के नाम पर कानून की अनदेखी सामान्यतः नहीं की जा सकती। लोक अधिकारी अपना अधिकार संविधान और कानून से प्राप्त करते हैं। स्थापित प्रक्रियाओं से मनमाना विचलन कानून के समक्ष समानता को कमजोर कर सकता है और पक्षपात के अवसर पैदा कर सकता है।

साथ ही, कानून का पालन केवल न्यूनतम संस्थागत मानक का प्रतिनिधित्व करता है। नैतिक शासन के लिए अधिकारियों को वैध विवेक का प्रयोग करते समय संवैधानिक मूल्यों पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

संवैधानिक नैतिकता मोटे तौर पर निम्नलिखित संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा को संदर्भित करती है:

- न्याय;
- स्वतंत्रता;
- समानता;
- बंधुत्व;
- गरिमा;
- धर्मनिरपेक्षता;
- कानून का शासन;
- गैर-भेदभाव।

सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले बेघर परिवारों से निपटने वाले एक जिला प्रशासक पर विचार करें। प्रशासन के पास अतिक्रमण हटाने का कानूनी अधिकार हो सकता है। हालांकि, वैकल्पिक आश्रय की उपलब्धता पर विचार किए बिना तत्काल बेदखली गंभीर कठिनाई पैदा कर सकती है।

नैतिक प्रतिक्रिया कानून की अनदेखी करना नहीं है। बल्कि, प्रशासक को एक कानूनी और मानवीय तरीका तलाशना चाहिए—सत्यापन, पर्याप्त नोटिस, जहां लागू हो वहां पुनर्वास और चरणबद्ध प्रवर्तन।

यह नियम-पालन और नैतिक प्रशासन के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है।

इसी तरह, आपदा राहत वितरण पर विचार करें। नियम पात्रता मानदंड निर्दिष्ट कर सकते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में संपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने से पहले त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। यहां, सार्वजनिक कल्याण के लिए पारदर्शी और सुसंगत रूप से प्रयोग किए जाने पर विवेक न्यायसंगत हो सकता है।

प्रशासनिक विवेक में नैतिक सिद्धांत: एक लोक सेवक को लागू करना चाहिए:

- **वस्तुनिष्ठता:** निर्णय साक्ष्य-आधारित होने चाहिए।
- **निष्पक्षता:** समान मामलों में समान व्यवहार होना चाहिए।
- **सहानुभूति:** निर्णयों के मानवीय परिणामों को पहचाना जाना चाहिए।
- **सत्यनिष्ठा:** व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों को विवेक को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
- **जवाबदेही:** असाधारण निर्णयों के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।
- **आनुपातिकता:** प्रतिक्रिया वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसलिए संवैधानिक नैतिकता दो विपरीत खतरों को रोकती है।

पहला **कठोर कानूनवाद** है, जहां अधिकारी वैध संवैधानिक मूल्यों पर विचार किए बिना यंत्रवत रूप से नियमों को लागू करते हैं।

दूसरा **व्यक्तिगत नैतिकतावाद** है, जहां अधिकारी लोकतांत्रिक रूप से बनाए गए कानून के स्थान पर अपने व्यक्तिगत विश्वासों को स्थापित कर देते हैं।

आदर्श स्थिति इन चरम सीमाओं के बीच में निहित है: संवैधानिक मूल्यों द्वारा सूचित कानून-निर्देशित विवेक।

संस्थागत तंत्र तर्कसंगत आदेशों, अपीलीय समीक्षा, पारदर्शिता, शिकायत निवारण और विवेकाधीन शक्तियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं।

अंततः, लोक प्रशासन केवल नियमों को लागू करने के बारे में नहीं है। यह एक संवैधानिक ट्रस्ट (विश्वास) के रूप में सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करने के बारे में है। इसलिए नैतिक लोक सेवक केवल यह नहीं पूछता है, "क्या यह कार्रवाई कानूनी रूप से स्वीकार्य है?" बल्कि यह भी पूछता है, "क्या यह निष्पक्ष, आनुपातिक, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है?"

इस प्रकार, संवैधानिक नैतिकता वैधानिकता और नैतिक शासन के बीच एक महत्वपूर्ण पुल प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक विवेक मनमाने अधिकार के बजाय नागरिकों की सेवा करे।

प्रश्न 5: "वैज्ञानिक प्रतिभा को बनाए रखने की भारत की चुनौती केवल प्रवासन की समस्या नहीं है; यह मौलिक रूप से एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की समस्या है जिसमें वैज्ञानिक करियर वैश्विक अवसरों का मुकाबला कर सकें।" भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र से ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन) के कारणों का परीक्षण कीजिए और सुधारों का सुझाव दीजिए।

करंट अफेयर्स संदर्भ: भारतीय विज्ञान में प्रतिधारण चुनौती: प्रतिभा पलायन, कारण और सुधार, अगस्त 2026।

मॉडल उत्तर: भारत से उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मजबूत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने वाले देशों की ओर जाना एक महत्वपूर्ण मानव-पूंजी चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। जिस मुद्दे को आमतौर पर "ब्रेन ड्रेन" के रूप में वर्णित किया जाता है, उसे अधिक व्यापक रूप से प्रतिभा प्रतिधारण (बनाए रखने), अनुसंधान उत्पादकता और संस्थागत प्रतिस्पर्धात्मकता की समस्या के रूप में समझा जाना चाहिए।

भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिभाओं का एक बड़ा पूल है। फिर भी प्रतिभाशाली शोधकर्ता विदेशों में अवसरों की तलाश कर सकते हैं क्योंकि विदेशी संस्थान बेहतर अनुसंधान बुनियादी ढांचा, उन्नत उपकरणों तक अधिक पहुंच, मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, उच्च पारिश्रमिक और अधिक अनुमानित करियर मार्ग प्रदान कर सकते हैं।

प्रमुख कारण:

- 1. अनुसंधान बुनियादी ढांचा:** अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, कंप्यूटिंग क्षमता, विशेष उपकरणों और विश्वसनीय अनुसंधान सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अपर्याप्त या असमान पहुंच शोधकर्ताओं की उत्पादकता को कम कर सकती है।
- 2. करियर संबंधी अनिश्चितता:** युवा शोधकर्ताओं को अक्सर अस्थायी फैलोशिप, पोस्टडॉक्टोरल पदों और अनिश्चित शैक्षणिक करियर की लंबी अवधि का सामना करना पड़ता है। अनुमानित प्रगति का अभाव प्रवासन को प्रोत्साहित कर सकता है।
- 3. वित्तपोषण और प्रशासनिक देरी:** अनुसंधान के लिए समय पर वित्तपोषण की आवश्यकता होती है। अनुदान, खरीद और स्वीकृतियों में देरी से अनुसंधान दक्षता कम हो सकती है और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हतोत्साहित हो सकती हैं।
- 4. मुआवजा और वैश्विक अवसर:** भारतीय वैज्ञानिक वैश्विक श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अंतराष्ट्रीय संस्थान उच्च वेतन, मजबूत अनुसंधान दल और वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं।
- 5. संस्थागत स्वायत्तता:** वैज्ञानिक अक्सर बौद्धिक स्वतंत्रता, अनुसंधान डिजाइन में लचीलेपन और योग्यता-आधारित संस्थागत संस्कृतियों को महत्व देते हैं। अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप वैज्ञानिक उत्पादकता को कम कर सकता है।

6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग: शोधकर्ता इसलिए पलायन कर सकते हैं क्योंकि विदेशी संस्थान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं और अंतःविषय अनुसंधान नेटवर्क में भाग लेने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं।

प्रतिधारण (रिटेंशन) क्यों मायने रखता है: वैज्ञानिक प्रतिभा का नुकसान जनशक्ति में केवल एक संख्यात्मक कमी से अधिक नुकसान पहुंचाता है। उच्च प्रशिक्षित शोधकर्ता शिक्षा में वर्षों के सार्वजनिक और निजी निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जाना निम्नलिखित को कमजोर कर सकता है:

- अनुसंधान क्षमता;
- नवाचार;
- प्रौद्योगिकी विकास;
- युवा वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन;
- विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध;
- रणनीतिक वैज्ञानिक क्षमताएं।

हालाँकि, प्रवासन स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं है। विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक प्रवासी नेटवर्क, सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वापसी कार्यक्रमों के माध्यम से योगदान दे सकते हैं। इसलिए उद्देश्य ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन) को "ब्रेन सर्कुलेशन" (प्रतिभा चक्र) में परिवर्तित करना होना चाहिए।

सुधार का एजेंडा:

- 1. अनुमानित अनुसंधान वित्तपोषण:** बहु-वर्षीय अनुदान और तेजी से खरीद तंत्र शोधकर्ताओं को महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की योजना बनाने की अनुमति दे सकते हैं।
 - 2. अनुसंधान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** साझा राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और उन्नत अनुसंधान सुविधाएं दोहराव को कम कर सकती हैं और पहुंच का विस्तार कर सकती हैं।
 - 3. वैज्ञानिक करियर में सुधार:** पारदर्शी भर्ती, कार्यकाल-ट्रैक (टेन्योर-ट्रैक) मार्ग और योग्यता-आधारित पदोन्नति से प्रतिधारण में सुधार हो सकता है।
 - 4. अनुसंधान स्वायत्तता में सुधार:** परिणामों के लिए जवाबदेह रहते हुए वैज्ञानिकों को अधिक परिचालन लचीलापन मिलना चाहिए।
 - 5. विश्वविद्यालय अनुसंधान को मजबूत करना:** अनुसंधान विश्वविद्यालयों को मजबूत संकाय सहायता, डॉक्टरेट कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
 - 6. उद्योग-अकादमिक संबंध:** विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप और उद्योग के बीच अधिक तालमेल वैकल्पिक वैज्ञानिक करियर मार्ग बना सकता है।
 - 7. प्रवासी जुड़ाव (डायस्पोरा एंगेजमेंट):** विज़िटिंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, संयुक्त प्रयोगशालाएं, लचीली रिटर्न फैलोशिप और सहयोगात्मक अनुसंधान अनुदान ब्रेन सर्कुलेशन को आसान बना सकते हैं।
 - 8. शुरुआती करियर के शोधकर्ताओं का समर्थन:** युवा वैज्ञानिकों को मेंटरिंग, प्रतिस्पर्धी फैलोशिप, उपकरणों तक पहुंच और स्वतंत्र परियोजनाओं का नेतृत्व करने के अवसरों की आवश्यकता होती है।
- आगे का रास्ता:** प्रतिधारण की चुनौती के लिए अंततः वैज्ञानिकों को केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में देखने के बजाय उन्हें रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है।

भारत को वैज्ञानिकों को विदेश जाने से रोकने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, इसे घरेलू अनुसंधान संस्थानों को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाना चाहिए ताकि प्रवासन एक मजबूरी के बजाय एक विकल्प बन जाए।

इसलिए दीर्घकालिक उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए जिसकी विशेषताएं हों: प्रतिस्पर्धी फंडिंग + विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा + संस्थागत स्वायत्तता + अनुमानित करियर + वैश्विक सहयोग + उद्योग संबंध।

ऐसे सुधारों से न केवल अनिच्छुक ब्रेन ड्रेन कम होगा बल्कि एक ज्ञान-संचालित, नवाचार-उन्मुख अर्थव्यवस्था बनने की भारत की क्षमता भी मजबूत होगी। नतीजतन, वैज्ञानिक प्रतिभा को बनाए रखना केवल शिक्षा या रोजगार का मुद्दा नहीं है; यह सीधे तौर पर भारत की तकनीकी संप्रभुता, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और राष्ट्रीय विकास से जुड़ा हुआ है।

